राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।

[स्वास्थ्य भवन]

क्रमांक:प्रशि0/जीएनएम/जी-88/10/ 58-208 दिनांक: 18/2/10

:: आ दे श ::

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

राज्य सरकार, चिकि0एवं स्वा0 [ग्रुप-3] विभाग की आई0डी0संख्या 63 दि0-29.01.10 के द्वारा इस निदेशालय की एकल पत्रावली पर अनुमोदनोपरान्त जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2009-10 में प्रवेश प्रक्रिया दि0-26.02.10 से बन्द की जाती है ।

इसी क्रम में सभी प्रधानाचार्य, निजी नर्सिंग स्कूल को निर्देशित किया जाता है कि दि0-25.02.10 के बाद इस निदेशालय या प्राइवेट फैडरेशन से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं देवें । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी संस्थान में अनाधिकृत/अनियमित या दिनांक 25.02.2010 के बाद प्रवेश दिया जाने का प्रकरण इस निदेशालय/राज्य सरकार के ध्यान में आने पर ऐसी संस्थान के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावेगी, जिसके लिये संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगी ।

सत्र 2009-10 में इस निदेशालय तथा प्राइवेट फैडरेशन स्तर से आपकी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों मे से आपके अधीन उपस्थिति देने वाले छात्रों की नवीनतम सूची निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.2.2010 को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राजकीय कोटे से प्रवेशित छात्रों द्वारा फीस पेटे आर.एन.सी को जमा कराई गई अग्रिम राशि आपकी संस्थान को भिजवायी जा सके । यदि उपरोक्त सूचना के अभाव में आपकी संस्था को अग्रिम राशि भिजवाने में विलम्ब हुआ तो इसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी ।

[बी.के. दोसी]
अतिरिक्त. निदेशक [प्रशिक्षण]
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0
जयपुर ।

क्रमांक/प्रशि/जीएनएम/जी-88/010/ 58-208 दि. 18/2/10

प्रतिलिपि निम्नांकितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- निजी सचिव, मा0स्वास्थ्य मंत्री/मा0 स्वास्थ्य राज्य मंत्री महो0राज0सरकार

2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0विभाग, राज0 जयपुर।

3- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 [ग्रुप-3] विभाग, राज0 जयपुर ।

4- रजिस्ट्रार, राज0 नर्सिंग कौंसिल, जयपुर ।

5- अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान प्राइवेट निजी नर्सिंग स्कूल फैडरेशन राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आप द्वारा आवंटित छात्रों की सूची संस्थावार दि. 26.2.2010 को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । दि. 25.2.2010 के बाद प्रवेशित छात्र मान्य नहीं होंगे ।

6- प्रधानाचार्य, समस्त निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर पालन

7. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक [प्रशिक्षण]
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0
जयपुर ।